न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 120 / 2022

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. इकबाल पुत्र याकुब खां, जाति मोयला मुसलमान, नि0 पांचवा कलां, तहसील सोजत जिला—पाली (राजस्थान)		1 सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत,

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 22.8.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी सरहद मौजा पांचवा कलां का निवासी है। प्रार्थी के पिता याकुब खां पुत्र वजीर खां की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि पांचवा कलां में स्थित है। याकुब खां का दुर्घटना में देहांत दिनांक 17.12.2021 में हो चुका है। वजीर खां की मृत्यु के बाद उनकी खातेदारी भूमि बाबत् फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया। प्रार्थी के पिता याकुब खां उक्त वजीर खां के पुत्र थे। वजीर खां की पैतृक खातेदारी सरहद मौजा पांचवा कलां में जमाबंदी सम्वत् 2054 से 2057 में स्थित खाता नंबर 236 पुराना खाता में वर्णित संख्या 233 खसरा नंबर 516 रकबा 1.1900 है0 किस्म बारानी दोयम, खसरा नंबर 534 रकबा 0.7500 है, खसरा नंबर 535 रकबा 2.2600 है0 खसरा नंबर 767 रकबा 1.5900 है0 किस्म बा0अ0 थी। जिसका फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 288 दिनांक 10.10.1999 को भरा गया जिसमें प्रार्थी के पिता का नाम याकुब खां सही रूप से दर्ज है। वजीर खां की पैतृक खातेदारी भूमि सरहद मौजा पांचवा कलां में स्थित जमाबंदी सम्वत् 2054—57 में खाता नंबर 234 पुराने खाता नंबर 230 में वर्णित खसरा नंबर 64 रकबा 0.6300 है0 किस्म नहरीअव्वल, खसरा नंबर 746 रकबा 1.6100 है0, खसरा नंबर 771 रकबा 1.0700 है0, खसरा नंबर 773 रकबा 1. 9200 है0 किस्म बा0अ0 थी। जिसका फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 237 दिनांक 15.07.1999 के अनुसार वजीर खां के स्थान पर उनके उतराधिकारीगण में याकुब खां के स्थान पर टाईप की गलती से साबुक खां गलत रूप से सेव प्रविष्ठि कर दी गई। उक्त टंकन त्रुटि जमाबंदी के अवलोकन मात्र से प्रमाणित है। जिससे उक्त म्यूटेशन एवं जमाबंदी में याकुब खां पुत्र वजीर खां दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होने से उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार कर टंकण त्रुटि का सुधार कर अनुतोष दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इसके पश्चातवर्ती चौसाला जमाबंदी में खाता संख्या 75 पुराना 73 तथा खाता संख्या 74 पुराना 71 सम्वत् 2074—77 में तत्कालीन पटवारी की गलती से भूलवश याकुब खां के स्थान पर अकुब खां पुत्र वजीर खां की

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

प्रविष्टि करवाने हेतु उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार कर अनुतोष दिलवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट पेश कर सरहद मौजा पांचवा कलां के खसरा नंबर 516, 534, 535, 767 में माफिक म्यूटेशन संख्या 288 दिनांक 10.10.1999 की पालना में वर्तमान जमाबंदी में याकुब खां पुत्र वजीर खां दर्ज करवाया जाने एवं खसरा नंबर 64, 746, 771, 773 में याकुब खां पुत्र वजीर खां दर्ज कर म्यूटेशन संख्या 237 दिनांक 15.07.1999 में संशोधन करवाकर याकुब खां के स्थान पर याकुब खां पुत्र वजीर खां दर्ज कर पाश्चात्यवर्ती चौशाला जमाबंदी में उक्त वर्णित खसरों में अकुब खां पुत्र वजीर खार के स्थान पर याकुब खां पुत्र वजीर खां दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 22.08.2022 को जबाब प्रा0 पेश कर प्रार्थी द्वारा स्वयं सिद्ध करना व कानूनी होना बताया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा पांचवा कलां के खसरा नंबर 516, 534, 535, 767 कुल खसरा 04 कुल रकबा 6.5100 है0 किस्म बा0दो0बा0अ0 एवं खसरा नंबर 64, 746, 771, 773 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.2300 है0 किस्म न0अ0,बा0दो0,बा0अ0, के राजस्व रेकर्ड में साबुक खां, एवं अकुब खां पुत्र वजीर खां तथा अकुब खां पुत्र वजीर खार के स्थान पर याकुब खां पुत्र वजीर खां दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत को उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत याकुब खां का मृत्यु प्रमाण पत्र, याकुब खां का आधारकार्ड, प्रार्थी इकबाल का आधारकार्ड, प्रमाणित प्रतियां जमाबंदीयां खाता संख्या 75, 74, 236, 234 सम्वत् की 2054 से 57, जमाबंदी दिनांक 31.05.2002, 11.11.2005, म्यूटेशन नंबर 288, 237 की प्रमाणित प्रतियॉ, आदि पेश की। प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी का नाम अन्य राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी सम्वत 2054–57 ग्राम पांचवाकंला के खसरा नंबर 516, 534, 535, 767 कुल खसरा 04 कुल रकबा 6.5100 है0 में याकुब खां दर्ज शुदा है। इसके अतिरिक्त मृत्युप्रमाण पत्र की छाया प्रति व आधार कार्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम याकुब खा अंकित है। लिहाजा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा पांचवा कलां के किस्म खसरा नंबर 516, 534, 535, 767 कुल खसरा 04 कुल रकबा 6.5100 है0 बा0दो0बा0अ0 एवं खसरा नंबर 64, 746, 771, 773 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.2300 है0 किस्म न0अ0,बा0दो0,बा0अ0, के वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

राजस्व रेकर्ड में साकुब खां, एवं अकुब खां पुत्र वजीर खां के स्थान पर याकुब खां पुत्र वजीर खां दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा पांचवा कलां के 516, 534, 535, 767 कुल खसरा 04 कुल रकबा 6.5100 है0 बा0दो0बा0अ0 तथा खसरा नंबर 64, 746, 771, 773 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.2300 है0 किस्म न0अ0,बा0दो0,बा0अ0, के राजस्व रेकर्ड में साकुब खां, एवं अकुब खां पुत्र वजीर खां के स्थान पर याकुब खां पुत्र वजीर खां दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी

यह निर्णय आज दिनांक 22.08.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)